प्रारंभिक परीक्षा

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस एक **संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन** के रूप में आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आ गया है, जिसका **मुख्यालय भारत में है।**

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) के बारे में -

- **यह बड़ी बिल्लियों(Big Cat) के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों का एक बहु-देशीय, बहु-एजेंसी गठबंधन है।**
- **उत्पत्ति:** IBCA को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2023 में 'प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में' कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था।
- **सदस्यता: सदस्यता 97 "रेंज" देशों के लिए खुली होगी**, जो इन बड़ी बिल्लियों के प्राकृतिक आवास की मेजबानी करते हैं, साथ ही अन्य इच्छुक राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि भी।
- **बजटीय सहायता:** 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये।
- **उद्देश्य:**
    - **7 बड़ी बिल्लियों(Big Cat)** - बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का वैश्विक संरक्षण।
        - **भारत में इनमें से पांच पाए जाते हैं:** बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता (जगुआर और प्यूमा को छोड़कर)।
    - अवैध शिकार विरोधी कानूनों और प्रवर्तन को मजबूत करके अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकना।
    - रेंज और गैर-रेंज देशों में संरक्षण प्रयासों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता।
- **यह बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए पहला वैश्विक गठबंधन है।**
- **गठबंधन को भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया और लाइबेरिया से अनुमोदन प्राप्त हुआ है।**

स्रोत: [PIB - IBCA]

फोर्ट विलियम(Fort William)

संदर्भ

औपनिवेशिक विरासत को खत्म करने और स्वदेशी परंपराओं को बढ़ावा देने के भारत सरकार के प्रयासों के तहत **कोलकाता में सेना के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर "विजय दुर्ग" कर दिया गया है।**

फोर्ट विलियम के बारे में -

- **इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया, इसे 1781 में अंग्रेजों ने बनवाया था।**
- यह कोलकाता में स्थित है, यह भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय के रूप में कार्य करता है।
- ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत पर उनके सैन्य नियंत्रण का प्रतीक था।
- **वास्तुकला**:
    - 70 हेक्टेयर में फैला यह किला भारत में ब्रिटिश काल की सबसे बड़ी सैन्य संरचनाओं में से एक है।
    - इसे उन्नत रक्षा क्षमताओं के लिए तारे के आकार के लेआउट में डिज़ाइन किया गया है।
- **फोर्ट विलियम 1756 में कुख्यात "ब्लैक होल त्रासदी" घटना का स्थल है।**

हाल के दिनों में नाम बदलने की प्रमुख घोषणाएं

- **किचनर हाउस → मानेकशॉ हाउस**
    - भारत के पहले फील्ड मार्शल और 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की जीत के सूत्रधार फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नाम पर रखा गया।
- **साउथ गेट (पूर्व में सेंट जॉर्ज गेट) → शिवाजी गेट**
    - अपनी गुरिल्ला युद्ध रणनीति और सैन्य रणनीति के लिए जाने जाने वाले मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करना।
- **भारतीय नौसेना के झंडे में बदलाव (2022):**
    - ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रतीक सेंट जॉर्ज क्रॉस को छत्रपति शिवाजी की मुहर से प्रेरित एक भारतीय नौसैनिक ध्वज से बदल दिया गया।

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना क्यों की? (2020)

(a) उन्हें लंदन में निदेशक मंडल द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया था।
(b) वह भारत में प्राच्य विद्या में रुचि को पुनर्जीवित करना चाहते थे।
(c) वह विलियम कैरी और उनके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहते थे।
(d) वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहते थे।

उत्तरः (d)

स्रोत: **The Hindu - Fort william**

पवित्र उपवनों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान वन विभाग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत पवित्र उपवनों का मानचित्रण करने और उन्हें 'वन' तथा 'सामुदायिक रिजर्व' के रूप में वर्गीकृत करने का आदेश दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय निर्देशों के बारे में -

- सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान वन विभाग को जमीनी सर्वेक्षण और उपग्रह इमेजरी दोनों का उपयोग करके सभी पवित्र उपवनों का मानचित्रण करने का आदेश दिया।
- उपवनों की पहचान उनके सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व के आधार पर की जानी चाहिए, चाहे उनका आकार कुछ भी हो।
- **न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन उपवनों को 'वन' के रूप में वर्गीकृत किया जाए और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WLPA) 1972 के तहत 'सामुदायिक रिजर्व' के रूप में अधिसूचित किया जाए।**
- **यह निर्णय प्रभावी रूप से संरक्षण के लिए नियंत्रण स्थानीय समुदायों से वन प्राधिकारियों को हस्तांतरित करता है।**
- **यह निर्णय वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के विपरीत है, जिसमें वन भूमि पर नियंत्रण ग्राम सभाओं को बहाल करने का प्रयास किया गया था।**

राजस्थान के पवित्र उपवन -

- **राजस्थान में पवित्र उपवन, जिन्हें स्थानीय रूप से 'ओरण', 'मालवण', 'देवघाट' और 'बाघ' के नाम से जाना जाता है, समुदाय द्वारा विनियमित वन क्षेत्र हैं।**
- राजस्थान में **लगभग 25,000 पवित्र उपवन हैं**, जिनका क्षेत्रफल लगभग **6 लाख हेक्टेयर है** ।
- **इन उपवनों का प्रबंधन पारंपरिक रूप से समुदायों द्वारा किया जाता है, तथा इन्हें अक्सर स्थानीय देवताओं, तीर्थस्थानों, मंदिरों और कब्रिस्तानों से जोड़ा जाता है।**
- ये जैव विविधता के हॉटस्पॉट, बारहमासी नदियों के स्रोत और औषधीय पौधों के भंडार के रूप में कार्य करते हैं।

पवित्र उपवन(Sacred Groves) के बारे में -

- **पवित्र उपवन प्राकृतिक वनस्पति के वे भाग हैं जिन्हें उनके धार्मिक, सांस्कृतिक या पारिस्थितिक महत्व के कारण संरक्षित किया जाता है।**
- ये क्षेत्र अक्सर देवताओं, आत्माओं या धार्मिक विश्वासों से जुड़े होते हैं, और मानवीय हस्तक्षेप आमतौर पर निषिद्ध या प्रतिबंधित होता है।
- भारत में **13,000 से अधिक** पवित्र उपवन हैं।
- **ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित हैं।**
- **भारत के कुछ प्रसिद्ध पवित्र उपवन:**
    - **मेघालय के जीवित जड़ पुल (जिंगकिएंग ग्री): इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।**
    - **हरियाली:** यह भारत के सबसे बड़े पवित्र उपवनों में से एक है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में गौचर के पास स्थित है।
    - **देवदार उपवन:** हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिपिन में स्थित है।

पवित्र उपवनों के स्थानीय नाम

राज्य	स्थानीय नाम	राज्य	स्थानीय नाम
हरयाणा	**कोविल कडु**	मेघालय	**काऊ क्यंतांग**
हिमाचल प्रदेश	**देव वन**	मणिपुर	**उमंग लाई**
राजस्थान	**ओरण**	असम	**थान**
महाराष्ट्र	**देवराई**	केरल	**कावु**
मध्य प्रदेश	**सरना, देव**	कर्नाटक	**देवराकाडु**
ओडिशा	**जाहेरा, ठकुरम्मा**	गुजरात	**साबरकांठा,बनासकांठा**

सामुदायिक रिज़र्व क्या हैं?

- **WLPA (2002) में संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के साथ) की एक श्रेणी के रूप में पेश किया गया।**
- सामुदायिक रिजर्व की घोषणा निजी या सामुदायिक भूमि पर की जाती है, जहां स्थानीय लोग वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सहमत होते हैं।
- सामुदायिक रिजर्व प्रबंधन समिति रिजर्व के प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।
- **सामुदायिक रिज़र्व में प्रतिबंध:**
    - कोई शिकार या वन्य जीवन को नुकसान नहीं पहुँचाना।
    - किसी भी भूमि-उपयोग परिवर्तन के लिए प्रबंधन समिति और राज्य सरकार दोनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के बीच संघर्ष

- वन अधिकार अधिनियम 2006 वन-आश्रित समुदायों के प्रथागत अधिकारों को मान्यता देता है।
- **यदि पवित्र उपवनों को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाता तो उन्हें सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों के बजाय 'सामुदायिक वन संसाधन' के रूप में वर्गीकृत किया जाता।**
- **FRA के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन (CFR):**
    - वन विभाग के बजाय ग्राम सभाओं द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
    - ग्राम सभाओं को इन वनों की सुरक्षा, पुनर्जनन और संरक्षण का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
    - समुदायों को राज्य सरकार के सहयोग से अपनी स्वयं की संरक्षण योजनाएं विकसित करनी होंगी।
- पवित्र उपवनों को 'सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र' के रूप में वर्गीकृत करके, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पारंपरिक शासन मॉडल और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर करता है।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भारत के सभी पवित्र उपवनों का मानचित्र बनाने और एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने को कहा गया है।

स्रोत: [The Hindu - Sacred Groves]

गाजा और मध्य पूर्व नीति में बदलाव पर ट्रम्प का प्रस्ताव

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष पर एक क्रांतिकारी नीति बदलाव की घोषणा की, जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा कर ले।

अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रमुख प्रस्ताव

- **फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ देना चाहिए**
  - ट्रम्प ने सुझाव दिया कि जॉर्डन, मिस्र और अन्य अरब राज्यों को गाजा शरणार्थियों को स्वीकार करना चाहिए।
  - उन्होंने दावा किया कि फिलिस्तीनी लोग वापस नहीं लौटना चाहेंगे क्योंकि गाजा एक "विध्वंस स्थल" बन गया है।
  - उन्होंने यह भी कहा कि वह जॉर्डन और मिस्र को विस्थापित फिलिस्तीनियों को स्वीकार करने के लिए राजी कर सकते हैं।
- **अमेरिका गाजा पर 'कब्जा' करेगा**
  - **घोषणा की गई कि अमेरिका गाजा का "मालिक" होगा और इसके लिए जिम्मेदार होगा:**
    - न फटे बमों और हथियारों को हटाना
    - गाजा को आर्थिक रूप से विकसित करना, इसे "मध्य पूर्व का रिवेरा" कहना।
    - हजारों नौकरियां पैदा करके इसे समृद्धि का मॉडल बनाया जाएगा।
- **ईरान पर 'अधिकतम दबाव' की वापसी**
  - ट्रम्प ने ईरान पर अधिकतम दबाव वाले प्रतिबंधों को पुनः लागू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।
  - **यमनी संगठन हूती को आतंकवादी संगठन के रूप में पुनः नामित किया गया।**

- **"अधिकतम दबाव नीति"** एक ऐसी रणनीति है जिसमें एक देश दूसरे देश को अपना व्यवहार बदलने के लिए मजबूर करने हेतु उस पर भारी आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध लगाता है।
- **इसका लक्ष्य ईरान को अपनी परमाणु गतिविधियां रोकने तथा क्षेत्र में उसके प्रभाव को कम करने के लिए मजबूर करना है।**

व्यापक वैश्विक विरोध

- **सऊदी अरब:** प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के प्रति अपने दीर्घकालिक समर्थन की पुष्टि की।
- **यूरोपीय और वैश्विक नेता:** ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, चीन और न्यूजीलैंड ने ट्रम्प की योजना को अस्वीकार कर दिया और दो-राज्य समाधान के लिए समर्थन दोहराया।
- **तुर्की:** फिलिस्तीनियों का जबरन निर्वासन अस्वीकार्य है।
- **फिलिस्तीनी प्राधिकरण:** राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र से फिलिस्तीनी अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया और ट्रम्प की योजना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया।

मिस्र और जॉर्डन ट्रम्प के प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर रहे हैं?

- **जॉर्डन का मजबूत प्रतिरोध:**
  - जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने सितंबर 2024 में चेतावनी दी थी कि जॉर्डन में फिलिस्तीनियों को फिर से बसाने के किसी भी प्रयास को युद्ध की घोषणा माना जाएगा।

- **जनसांख्यिकीय एवं राजनीतिक जोखिम:**
    - जॉर्डन पहले से ही 2 मिलियन से अधिक फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों (5 में से 1 व्यक्ति) की मेजबानी करता है।
    - फिलिस्तीनी राष्ट्रवादी समूहों (उदाहरण के लिए, मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े इस्लामिक एक्शन फ्रंट (आईएएफ)) के उदय से जॉर्डन की राजशाही को खतरा है।
    - 2024 के जॉर्डन के चुनावों में IAF ने 31 सीटें जीतीं - 1992 के बाद से यह सबसे बड़ी जीत है, आंशिक रूप से इसके हमास समर्थक रुख के कारण।

मिस्र की चिंताएँ

- राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने 2013 से मुस्लिम ब्रदरहुड पर शिकंजा कसा है, क्योंकि उन्हें डर है कि इस्लामी आंदोलन प्रभाव बढ़ा सकते हैं।
- विस्थापित फिलिस्तीनियों को स्वीकार करने से विपक्षी ताकतें मजबूत हो सकती हैं।

स्रोत: **The Hindu - Trump's Gaza Takeover**

उत्तरी ध्रुव पर अत्यधिक तापमान वृद्धि

संदर्भ

हाल ही में उत्तरी ध्रुव पर तापमान औसत से 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ गया। उत्तरी स्वालबार्ड क्षेत्र (नॉर्वे) में तापमान 18°C दर्ज किया गया, जो 1991-2020 के औसत से अधिक है।

उत्तरी ध्रुव पर इतना अधिक तापमान क्यों हुआ?

- **आइसलैंड पर निम्न दबाव प्रणाली:**
  - आइसलैंड के ऊपर एक गहरे निम्न दबाव तंत्र (कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र) ने गर्म हवा को आर्कटिक में जाने के लिए परिस्थितियां पैदा कर दीं।
  - यह प्रणाली निचले अक्षांशों से ध्रुवीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली गर्म हवा के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती थी, जिससे तापमान बढ़ता था।
- **असामान्य रूप से गर्म समुद्री सतह का तापमान:**
  - पूर्वोत्तर अटलांटिक महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म रहा,जिससे:
    - आर्कटिक में वायु-चालित गर्मी में वृद्धि हुई।
    - वार्मिंग घटना की तीव्रता में योगदान दिया।

वैश्विक जलवायु विनियमन में आर्कटिक की भूमिका

- **आर्कटिक पृथ्वी के लिए "रेफ्रिजरेटर" के रूप में कार्य करता है, जो वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है।**
- यदि आर्कटिक क्षेत्र में तापमान वृद्धि इसी दर से जारी रही तो इससे निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:
  - बर्फ पिघलने के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है।
  - विश्व भर में मौसम के पैटर्न में व्यवधान।
  - विश्व स्तर पर और अधिक चरम जलवायु घटनाएँ।

आर्कटिक का तापमान वैश्विक औसत से अधिक तेजी से क्यों बढ़ रहा है?

- **1970 के दशक से आर्कटिक क्षेत्र में तेजी से तापमान वृद्धि:**
  - 1979 के बाद से आर्कटिक वैश्विक औसत से 4 गुना तेजी से गर्म हुआ है।
  - एक अध्ययन से पता चला है कि 1970 के दशक के उत्तरार्ध से आर्कटिक वैश्विक औसत तापमान की तुलना में 3.8 गुना तेजी से गर्म हुआ है।
  - इसके विपरीत, 1850-1900 की आधार रेखा की तुलना में वैश्विक तापमान में 1.3°C की वृद्धि हुई है।
- **एल्बेडो प्रभाव (सूर्यप्रकाश परावर्तन तंत्र):**
  - समुद्री बर्फ अपनी चमकदार सफेद सतह के कारण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, जिससे तापमान कम रहता है।
  - जैसे-जैसे बर्फ पिघलती है, भूमि और महासागर की सतह अधिक काली हो जाती है, जो अधिक गर्मी सोख लेती है, जिससे तापमान और अधिक बढ़ जाता है।
  - यह स्व-सुदृढ़ फीडबैक लूप आर्कटिक में तापमान वृद्धि को तेज कर रहा है।
- **आर्कटिक में कमजोर वायुमंडलीय संवहन:**
  - उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में आर्कटिक में संवहन (ऊपर उठती गर्म हवा के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण) कमजोर है।

- उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तीव्र सूर्यप्रकाश के कारण मजबूत संवहन होता है, जो पूरे वायुमंडल में गर्मी वितरित करता है।
- आर्कटिक में, कमज़ोर संवहन का अर्थ है:
  - ग्रीनहाउस गैसों से उत्पन्न ऊष्मा ऊपर की ओर वितरित होने के बजाय सतह के पास ही फंसी रहती है।
  - इसके परिणामस्वरूप जमीनी स्तर पर अधिक संकेन्द्रित तापमान वृद्धि होती है।

स्रोत: **Indian Express - Temperature at North Pole**

भारत 2035 की जलवायु कार्य योजना प्रस्तुत करने की समय सीमा चूक सकता है

संदर्भ

भारत द्वारा पेरिस समझौते के अंतर्गत 2035 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत करने की 10 फरवरी की समय-सीमा चूक जाने की संभावना है।

भारत की वर्तमान स्थिति -

- भारत अपनी 2035 की कार्ययोजना के साथ तैयार नहीं है और फरवरी की समय सीमा को पूरा करने की उसे कोई जल्दी नहीं है।
- देरी से प्रस्तुत करने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है, तथा कई विकसित देशों सहित कई अन्य देशों को अभी भी 2035 के लिए अपने NDC प्रस्तुत करना बाकी है।
- भारत को अभी अपनी पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बीटीआर) प्रस्तुत करना बाकी है, जिसे 31 दिसंबर, 2024 तक प्रस्तुत किया जाना था।
- **पेरिस समझौता और NDC प्रस्तुति चक्र:**
    - पेरिस समझौते के तहत देशों को हर पांच साल में अपने NDC को अपडेट करना आवश्यक है।
    - भारत ने 2020 में अपने 2030 के NDC प्रस्तुत किये।
    - 2035 के NDC को 10 फरवरी 2025 तक प्रस्तुत किये जाने की उम्मीद थी, जो कि ब्राजील में नवम्बर 2025 में होने वाले जलवायु सम्मेलन (COP30) से काफी पहले है।
    - प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ डेटा संकलन, स्पष्टीकरण और संश्लेषण रिपोर्ट में मदद करती हैं।

पेरिस समझौता 2015

- **यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होना है।**
- इसका **उद्देश्य** वैश्विक तापमान को **पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से नीचे सीमित रखना है,** तथा इसे **1.5°C तक सीमित रखने का प्रयास किया जा रहा है।**
- **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC):**
    - देश NDC प्रस्तुत करते हैं जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाए जाने वाले जलवायु कार्यों की रूपरेखा दी जाती है।
    - **NDC को हर पांच साल में अद्यतन किया जाता है।**
- **भारत के NDC:**
    - भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करना।
    - 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 गीगाटन CO_2e का कार्बन सिंक निर्मित करना।
    - 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना।
- भारत 2030 से पहले तीनों लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।

भारत द्वारा NDC प्रस्तुत करने में देरी के कारण

- **COP29 में जलवायु वित्त पर निराशा (बाकू, 2024):**
  - भारत सहित विकासशील देश, विकसित देशों से जलवायु वित्त के रूप में प्रतिवर्ष कम से कम 1 ट्रिलियन डॉलर की सहायता की उम्मीद कर रहे थे।
  - COP29 में अंतिम समझौते में 2035 से प्रति वर्ष केवल 300 बिलियन डॉलर का वादा किया गया था।
  - भारत ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए इसे "बेहद खराब" और वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए एक बड़ा झटका बताया।
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में यह भी संकेत दिया गया है कि वित्त पोषण की कमी के कारण भारत के जलवायु लक्ष्यों में संभावित पुनः समायोजन किया जा सकता है।
- **भारत की 2028 में COP33 की मेजबानी करने की योजना:**
  - भारत 2028 में COP33 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बना रहा है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 (2023) में की थी।
  - मेजबान देश नेतृत्व प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम से पहले नई जलवायु पहल की घोषणा करते हैं।
  - भारत कुछ जलवायु प्रतिबद्धताओं की घोषणा अभी करने के बजाय, COP33 से पहले ही कर सकता है।

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अभिप्रेत योगदान' शब्द कभी-कभी समाचारों में किसके संदर्भ में देखा जाता है? (2016)

(a) युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा किए गए वादे
(b) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्ययोजना
(c) एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना में सदस्य देशों द्वारा योगदान की गई पूंजी
(d) सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में विश्व के देशों द्वारा रेखांकित कार्य योजना

उत्तर: (b)

स्रोत: **Indian Express - India to miss deadline**

समाचार में स्थान

माउंट तरानाकी

- **ते उरेवेरा नेशनल पार्क** और **वांगानुई नदी** के बाद, **माउंट तारानाकी न्यूज़ीलैंड में व्यक्तिगत/मानव दर्जा पाने वाली तीसरी प्राकृतिक संरचना बन गई** है।

- **अवस्थिति:** उत्तरी द्वीप, न्यूज़ीलैंड, तरानाकी प्रायद्वीप पर।
- यह एक स्ट्रैटोवोलकानो है और राख और लावा प्रवाह की वैकल्पिक परतों से बना है।
- यह दुनिया के सबसे सममित ज्वालामुखीय शंकुओं में से एक है।
- इसका निर्माण ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे प्रशांत प्लेट के सबडक्शन द्वारा हुआ था।
- **न्यूजीलैंड के स्वदेशी माओरी लोग बर्फ से ढके माउंट तारानाकी को एक पवित्र पूर्वज के रूप में सम्मान देते हैं।**

स्रोत: **BBC - same legal rights as a person**

संपादकीय सारांश

भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए हरी झंडी

संदर्भ

केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य रणनीतिक पहलों के माध्यम से भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा और नवाचार में अग्रणी बनाना है।

स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रमुख बजट आवंटन और घोषणाएं -

- **कुल स्वास्थ्य देखभाल बजट**: ₹90,958 करोड़।
- **चिकित्सा शिक्षा विस्तार**:
    - **पांच वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें** जोड़ी जाएंगी।
    - **अकेले वित्त वर्ष 2026 में 10,000 सीटें** जोड़ी जाएंगी।
- **कैंसर देखभाल निवेश**: **जिला अस्पतालों** में **200 नए डे-केयर कैंसर केंद्र**।
- **"हील इन इंडिया"**: **भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा गंतव्य के रूप में स्थापित करना**:
    - चिकित्सा पर्यटकों के लिए सुव्यवस्थित वीज़ा प्रक्रिया।
    - विदेशी मरीजों को आकर्षित करने के लिए अस्पताल के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया गया।
    - स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी।
- **"हील बाय इंडिया"**: स्वास्थ्य पेशेवरों की वैश्विक कमी को दूर करना:
    - डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स को विदेशों में प्रशिक्षित करना और तैनात करना।
    - विश्व स्तर पर भारतीय स्वास्थ्य कर्मियों के लिए नए अवसर सृजित करना।
- **जीवन रक्षक दवाओं के लिए सीमा शुल्क में छूट:** कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और पुरानी स्थितियों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।
    - **प्रभाव**: उपचार लागत कम होने से हजारों रोगियों को लाभ होगा।
- **महत्वपूर्ण दवाओं तक बेहतर पहुंच:** दीर्घकालिक रोग से पीड़ित रोगियों के लिए 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम शुरू किए गए।
- **मेडिकल इनोवेशन को आगे बढ़ाना**: एआई, डायग्नोस्टिक्स और उपचार में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र।
    - रोग का शीघ्र पता लगाने और रोगी देखभाल में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग।
    - अपोलो हॉस्पिटल्स एशिया में कैंसर देखभाल के लिए प्रोटॉन थेरेपी शुरू करने वाला पहला अस्पताल था, जिसने ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों से रोगियों को आकर्षित किया।

भविष्य के लिए विजन: भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करना

- बजट स्वास्थ्य सेवा को राष्ट्रीय विकास के स्तंभ के रूप में मान्यता देता है।
- भारत का संघर्षरत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से वैश्विक चिकित्सा केंद्र में परिवर्तन।
- स्वास्थ्य सेवा में वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए "हील इन इंडिया" और "हील बाय इंडिया"।
- **कार्यवाई के लिए आह्वान**:
    - स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
    - अधिक कुशल पेशेवर तैयार करने के लिए चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना।
    - यह सुनिश्चित करना कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे।

स्रोत: **The Hindu: A green signal for India to assert its health leadership**

बैंकिंग विनियमन को आसान बनाने का मामला

संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2025-26 भारत के आर्थिक विस्तार के लिए मंच तैयार करता है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि $3.7 ट्रिलियन (2023-24) से $7 ट्रिलियन (2030-31) तक होने का अनुमान है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और कुशल पूंजी आवंटन की आवश्यकता है।

भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए चुनौतियाँ

- **निजी क्षेत्र का कम निवेश:** निजी क्षेत्र का निवेश-से-परिचालन नकदी प्रवाह 114% (2008-09) से घटकर 56% (2023-24) हो गया है।
    - **कारण**: भविष्य की मांग में अनिश्चितता और भू-राजनीतिक जोखिम।
- **एमएसएमई के लिए सीमित ऋण पहुंच:** बड़े कॉर्पोरेट बैंक ऋण, इक्विटी और बांड बाजार तक पहुंच रखते हैं, जबकि एमएसएमई को ऋण की कमी का सामना करना पड़ता है।
    - घरेलू बचत म्युचुअल फंड और पेंशन योजनाओं की ओर स्थानांतरित हो रही है, जिससे बैंकों की ऋण उपलब्धता कम हो रही है।
- **बैंकिंग तरलता पर विनियामक बाधाएं:** बैंक जमाओं का 30% विनियामक पूर्वग्रहण (एसएलआर: 26%, सीआरआर: 4%) में बंद है।
    - उच्च तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) की आवश्यकताएं उधार देने योग्य संसाधनों को और कम कर देती हैं।
    - बैंक 40 ट्रिलियन जमा प्रवाह में से 13 ट्रिलियन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, जिससे ऋण देने के लिए धन सीमित हो जाता है।
- **पुराना हो चुका प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) ढांचा:** 40% की पीएसएल आवश्यकता वर्तमान आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है।
    - मूल्य निर्धारण ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जिससे बैंक की लाभप्रदता प्रभावित होती है।
- **नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की तुलना में कम ऋण वृद्धि:** सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि से पीछे ऋण वृद्धि, विस्तार के लिए वित्तपोषण को प्रभावित कर रही है।
    - ब्याज दरों पर अत्यधिक विनियमन और स्वच्छ ऋण देने से वित्तीय समावेशन कम हो जाता है।
- **रुपये की अस्थिरता और तरलता प्रभाव:** मजबूत डॉलर के मुकाबले रुपये की रक्षा करने से बाजार में तरलता कम हो जाती है।
    - इससे विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावी रूप से मजबूत किए बिना रुपए का अधिमूल्यन हो जाता है।
- **कम रिटर्न के साथ उच्च बैंक प्रौद्योगिकी निवेश:** भारतीय बैंक अपने वार्षिक व्यय का 5% प्रौद्योगिकी पर खर्च करते हैं।
    - **वैश्विक तुलना**: बैंकिंग में प्रौद्योगिकी निवेश 9% है, जबकि राजस्व वृद्धि केवल 4% है।
    - निःशुल्क यूपीआई लेनदेन से राजस्व सृजन के बिना परिचालन लागत बढ़ जाती है।
- **अविकसित डेरिवेटिव बाजार:** वैश्विक सूचकांक में भारत का सरकारी बांड बाजार हिस्सा: 3% (इंडोनेशिया: 14.5%)।
    - नकदी बाजार में तरलता पर्याप्त है, लेकिन डेरिवेटिव बाजार कमजोर बना हुआ है।

क्या किया जाने की जरूरत है?

- **निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना:** कर लाभ और व्यापार को आसान बनाने संबंधी सुधारों के माध्यम से कॉर्पोरेट निवेश को प्रोत्साहित करना।

    - नीति स्थिरता और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से मांग विश्वास को मजबूत करना।
- **एमएसएमई के लिए ऋण पहुंच में सुधार:** भारी संपार्श्विक ऋण के स्थान पर जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण और नकदी प्रवाह आधारित ऋण को प्रोत्साहित करना।
    - एमएसएमई ऋण पहुंच का विस्तार करने के लिए फिनटेक साझेदारी को मजबूत करना।
- **बैंकिंग तरलता पर विनियामक पूर्वग्रहों को कम करना:** एसएलआर और एलसीआर दोनों की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करना ; विश्व स्तर पर केवल एलसीआर का ही उपयोग किया जाता है।
    - अत्यधिक सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के स्थान पर धन निवेश में अधिक लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए।
- **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) में सुधार:** जीडीपी संरचना और आर्थिक आवश्यकताओं में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए पीएसएल दिशानिर्देशों को अद्यतन करना।
    - सुनिश्चित करें कि पीएसएल मूल्य निर्धारण ऋण जोखिमों को प्रतिबिंबित करता है, जिससे बैंक की लाभप्रदता में सुधार होगा।
- **सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अनुरूप ऋण वृद्धि को बढ़ाना:** एआई-संचालित जोखिम मूल्यांकन और डिजिटल ऋण मॉडल के साथ वित्तीय समावेशन का विस्तार करना।
    - ब्याज दरों पर विनियामक बोझ कम करना और स्वच्छ ऋण देना।
- **तरलता कम किए बिना रुपये की स्थिरता का प्रबंधन करना:** मुद्रा बाजारों में अत्यधिक हस्तक्षेप से बचें; इसके बजाय, दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना।
    - बाहरी निवेश पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू निवेश के अवसरों को मजबूत करना।
- **टिकाऊ बैंक प्रौद्योगिकी निवेश सुनिश्चित करना:** नेटवर्क लागत की भरपाई के लिए यूपीआई पर छोटे लेनदेन शुल्क का विकल्प चुनें।
    - लागत वसूली मॉडल के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करना।
- **भारत के बांड और डेरिवेटिव बाजार का विकास करना:** भारत की वैश्विक बांड बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नियमों को आसान बनाना।
    - संस्थागत निवेशकों (आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, सेबी) को जोखिम प्रबंधन के लिए डेरिवेटिव का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।

स्रोत: **Indian Express: Let the Money Flow**

विस्तृत कवरेज

भारत में न्यूट्रास्युटिकल्स क्षेत्र

संदर्भ

भारत सरकार न्यूट्रास्युटिकल्स क्षेत्र को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की इच्छुक है।

न्यूट्रास्युटिकल्स(Nutraceuticals) क्या हैं?

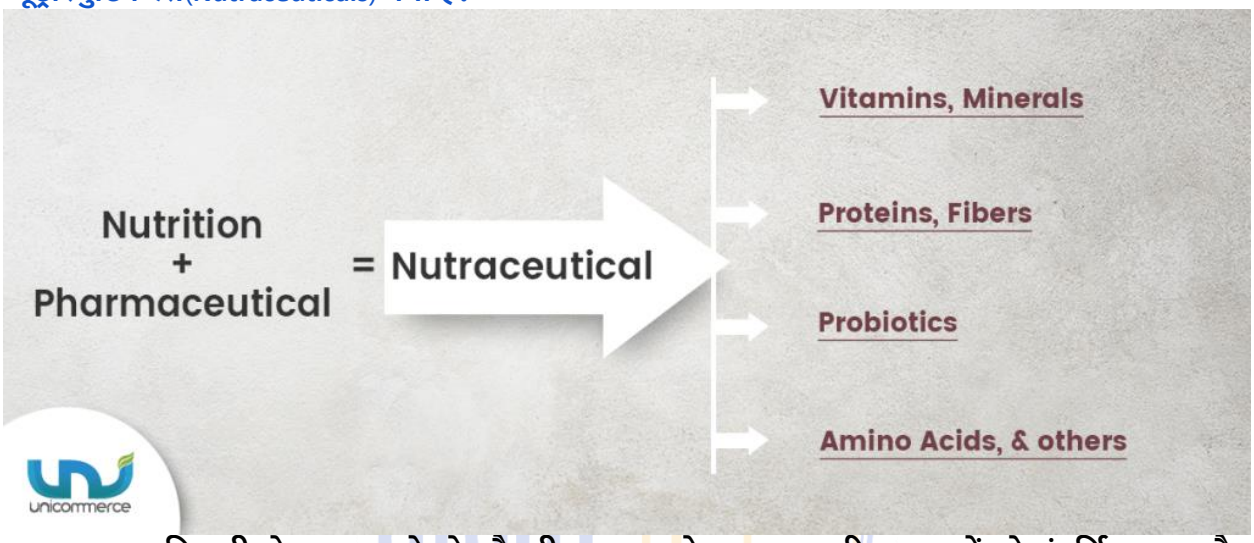

- **यह बुनियादी पोषण मूल्य से परे औषधीय लाभ वाले खाद्य-आधारित उत्पादों को संदर्भित करता है।**
- **ये उत्पाद पोषण और फार्मास्यूटिकल्स का मिश्रण हैं, जिनका उद्देश्य बीमारियों को रोकना और स्वास्थ्य में सुधार करना है।**
- **न्यूट्रास्युटिकल्स के प्रकार:**
    - **आहार अनुपूरक**: विटामिन, खनिज, अमीनो एसिड, प्रोबायोटिक्स, आदि।
    - **कार्यात्मक खाद्य पदार्थ**: फोर्टिफाइड अनाज, डेयरी उत्पाद, ऊर्जा पेय।
    - **औषधीय खाद्य पदार्थ**: विशिष्ट आहार संबंधी आवश्यकताओं के लिए बनाए गए उत्पाद (जैसे, मधुमेह-अनुकूल खाद्य पदार्थ)।
    - **हर्बल उत्पाद**: आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन, पौधे-आधारित अर्क।

- **भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)** स्वास्थ्य पूरकों और न्यूट्रास्युटिकल्स के अनुमोदन, प्रचार और लेबलिंग मानकों को विनियमित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है।

भारत के लिए लाभ

- **समृद्ध पारंपरिक ज्ञान:** स्वास्थ्य विज्ञान, विशेषकर आयुर्वेद में भारत का गहरा इतिहास रहा है, जो न्यूट्रास्युटिकल फॉर्मूलेशन में अद्वितीय बढ़त प्रदान करता है।
- **विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ**: 52 कृषि-जलवायु क्षेत्रों के साथ, भारत औषधीय पौधों की खेती के लिए उपयुक्त है, जिससे कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

- **औषधीय पौधों की प्रचुरता**: यहाँ 1,700 से अधिक औषधीय पौधे हैं, जिनमें कर्क्यूमिन, बेकोपा और अश्वगंधा शामिल हैं, जिनमें से कई विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं और आगे वैज्ञानिक सत्यापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
- **फार्मास्युटिकल विशेषज्ञता:** फार्मास्युटिकल निर्माण में भारत की मजबूत नींव उच्च गुणवत्ता वाले न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों के विकास में योगदान देती है।
- **बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम**: एक संपन्न न्यूट्रास्युटिकल स्टार्टअप परिदृश्य और सफल कंपनियों का उदय नवाचार और क्षेत्रीय विस्तार को बढ़ावा दे रहा है।
- **बढ़ती स्वास्थ्य चेतना:** महामारी के बाद, लोग प्रतिरक्षा, कल्याण और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता दे रहे हैं।
    - विटामिन सी, जिंक और हर्बल सप्लीमेंट जैसे प्रतिरक्षा बूस्टर की मांग बढ़ गई है।
- **बढ़ती जीवनशैली संबंधी बीमारियाँ:** मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों के बढ़ते मामलों के कारण कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और पूरकों की मांग बढ़ गई है।
    - उदाहरण के लिए, भारत में 315 मिलियन लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, तथा 101 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं (आईसीएमआर के एक अध्ययन के अनुसार)।
- **बढ़ती बाजार संभावना:** वैश्विक पोषण बाजार का मूल्य 520 बिलियन डॉलर है।
    - भारत की हिस्सेदारी लगभग 8 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो विशेष रूप से आयुर्वेद आधारित न्यूट्रास्युटिकल्स में विशाल विकास क्षमता का संकेत देता है।

इससे जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- **क्षेत्राधिकारों का अतिव्यापी होना:** भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से विनियामक निगरानी का कार्य केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को सौंपे जाने की संभावना ने चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं।
    - उद्योग विशेषज्ञों को डर है कि इस तरह के कदम से नवाचार बाधित हो सकता है तथा क्षेत्र में आर्थिक मंदी आ सकती है।
- **मानकीकरण संबंधी मुद्दे:** कच्चे माल और विनिर्माण प्रक्रियाओं में भिन्नता के कारण उत्पादों में निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।
- **आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन:** भू-राजनीतिक तनाव, प्राकृतिक आपदाओं या सामग्री की सीमित भौगोलिक उपलब्धता के कारण कच्चे माल की कमी और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ।
- **वैश्विक कर्ता:** अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं, जिससे घरेलू न्यूट्रास्युटिकल कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
- **नवप्रवर्तन बाधाएं:** अनुसंधान एवं विकास में सीमित निवेश से नए और प्रभावी न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे उद्योग की उभरती हुई उपभोक्ता मांगों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित होती है।
- **शैक्षिक अंतराल:** स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के बावजूद, उपभोक्ताओं में न्यूट्रास्युटिकल्स के लाभों और उचित उपयोग के बारे में अभी भी व्यापक समझ का अभाव है, जिसके कारण संशय और कम उपयोग की स्थिति पैदा होती है।

समाधान

- **गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण:** कच्चे माल के परीक्षण, सक्रिय घटक विनिर्देश और प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहयोग सहित मजबूत गुणवत्ता आश्वासन प्रोटोकॉल को लागू करें।
- **विनियामक अनुपालन:** वैश्विक विनियमों से अपडेट रहें, विनियामक सलाहकारों के साथ साझेदारी करें , और सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए अच्छे विनिर्माण अभ्यासों (जीएमपी) में निवेश करें।
- **संघटक सोर्सिंग और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन:** आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाना, दीर्घकालिक साझेदारियां स्थापित करना, ऊर्ध्वाधर एकीकरण में निवेश करना, और निर्बाध आपूर्ति के लिए बफर स्टॉक बनाए रखना।

- **उत्पाद स्थिरता और शेल्फ लाइफ:** उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करें, स्थिरता अध्ययन करें, और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए स्थिर फॉर्मूलेशन के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश करें।
- **उपभोक्ता शिक्षा और सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** स्पष्ट लेबलिंग प्रदान करें, वेबसाइटों पर शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराएं, और उपभोक्ता जागरूकता के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ सहयोग करें।

स्रोत: **PIB**

The Hindu: Government keen to hasten nutraceuticals sector in India